

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

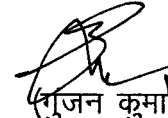
आदेश

1312
21.3.2025

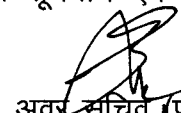
आ0सं0-13 / मुक0-08-50 / 2024

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के पत्रांक-3560 दिनांक 28.12.2024 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री मदन किशोर, (आई0डी0-जे0 8676), सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, नरकटियागंज (पो चम्पारण) का दिनांक 10.09.2015 से दिनांक 29.10.2015, दिनांक 02.11.2017 से दिनांक 23.11.2017 तथा दिनांक 25.12.2017 से दिनांक 09.01.2018 तक कुल-88 दिनों का रूपांतरित अवकाश (88X2=176 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) पूर्ण वेतन पर बिहार सेवा संहिता के नियम-232, 234 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

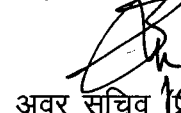
2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


अवर सचिव (प्रबंधन)।

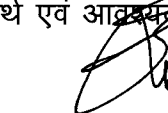
ज्ञापांक - 1312 पटना, दिनांक - 21.3.2025
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।

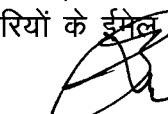
ज्ञापांक - 1312 पटना, दिनांक - 21.3.2025
प्रतिलिपि - मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी को उनके पत्रांक-442 दिनांक 08.02.2025 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 1312 पटना, दिनांक - 21.3.2025
प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, रक्सौल/कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, नरकटियागंज (पो चम्पारण)/ श्री मदन किशोर, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, रानीघाट, पो0-महेन्द्र, थाना-सुल्तानगंज, जिला-पटना, पिन-800006 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 1312 पटना/दिनांक - 21.3.2025
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पर भेजने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।